फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

दूलाराम बनाम विनोद कुमार

किस्म मुकद्मा– 225 आरटीए **नम्बर..03/...2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.20	अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश लदरेचा उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 09–01–2020 को पेश हो।	
09.01.20	अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही समन्दसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 23, 121, 168 कुल तादादी 19.24 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से अधिकार निहित है। कानूनी वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/6 हक हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में यदि अपने अधिकर क्षेत्र से बाहर भूमि का हस्तान्तरण किया जाता है तो कानूनन प्रारम्भ से ही शून्य हस्तान्तरण की श्रेणी में आता है। वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरणकरण संख्या 578 दिनांक 20–04–2013 के द्वारा हस्तान्तरित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त भूमि पर किसी भी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखे बिना आदेश जैर अपील के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–11–2019 को निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत द्वारा दिनांक 27–11–2019 को जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए प्रकरण में आगामी दिनांक 13–01–2020 अभिनिर्धारित करते हुए अप्रार्थीगणों को असालतन या वकालतन आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बजाय न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त एकतरफा अंतरिम आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एक अंतिरम श्रेणी का आदेश है। लिहाजा प्रस्तुत अपील में गुणावगुण पर किया प्रकार का विवेचन किये बिना अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी दिनांक 13–01–2020 को उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें। अपीलांट प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(राम रतन सोनकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.03 12:25:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: